बिहार सरकार

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की विवरणिका-सह-मार्गदर्शिका

डॉ॰ भीम सिंह
माननीय मंत्री,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार

ग्रामीण कार्य विभाग बिहार

न्याय के साथ विकास के बढ़ते कदम...

मार्गदर्शिका

संचिका संख्या - मु०अ०-4-विविध-78/05-1937

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

संकल्प

दिनांक : 21 जुन 2006

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन हेतु नीति निर्धारण के संबंध में ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 500 एवं उससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को बारहमासी सड़क सम्पर्क प्रदान करने के उद्देश्य की प्राप्ति मात्र केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा भारत निर्माण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे संसाधनों की मदद से करने में काफी समय लगेगा। सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराये बिना इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। अत: छोटे-छोटे ग्रामों/टोलों को बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तथा राज्य में आधारभूत संरचना के त्वरित विकास हेतु 500 से 999 तक जनसंख्या वाले (2001 की जनगणना के आधार पर) सभी ग्रामों/टोलों को भी शीघ्र बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्राप्त कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (MMGSY) प्रारम्भ की गयी है। इसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है।

1. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के सम्यक एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका पर राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्नवत् है :-

1.1 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित ग्रामों/टोलों के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों का चयन किया जाएगा जो पक्की सड़क से जुड़ी न हों । सभी ग्रामों/टोलो को तबतक अनजुड़ा माना जाएगा जबतक उनमें अवस्थित आबादी के निवास या किसी सामुदायिक उपयोग के भवन तक बारहमासी सड़क न पहुँच गयी हो ।

1.2 विभाग के द्वारा जिलावार, प्रखंडवार ऐसे ग्रामों की सूची तैयार की जायेगी, जिनकी जनसंख्या 500 से 999 के बीच हो (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) तथा जिन्हें अभी तक बारहमासी सड़क सम्पर्क प्राप्त नहीं है। जिला पदाधिकारी ऐसी प्रखंडवार सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी/अन्य अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । प्रखंड विकास पदाधिकारी/संबंधित अन्य अधिकारी स्थल निरीक्षण के आधार पर सूची में से बारहमासी सम्पर्क सुविधा प्राप्त एवं सम्पर्कविहीन गांवों को अलग-अलग चिन्हित कर इनका विवरण अलग-अलग क्रमश: प्रपत्र 'क' एवं प्रपत्र 'ख' में जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे । जिला पदाधिकारी समीक्षा के उपरान्त संतुष्ट होकर अद्यतन सूचना के साथ उपर्युक्त सूची विभाग को एक माह के भीतर वापस कर देंगे और विभाग इसके आधार पर प्रत्येक

जिला के प्रत्येक प्रखंड में अवस्थित 500 से 999 की जनसंख्या के बीच के बारहमासी सम्पर्कविहीन सभी ग्रामों की राज्य स्तरीय समेकित सूची तैयार कर संबंधित जिलो को भेजने की कार्रवाई करेगा। संबंधित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' निम्नवत् है:-

प्रपत्र ''क'' (बारहमासी सड़क सम्पर्क सुविधा प्राप्त ग्रामों का विवरण)

क्रम संख्या	जिला	प्रखंड	गाँव	सड़क का नाम	लम्बाई	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	पथ की वर्त्तमान स्थिति Good/Satisfactory/bad	वर्गीकरण NH/SH/MDR/ODR/VR	स्वामित्व RCD/REO/ZP/अन्य	संबंधित ग्रा०अ०सं० कार्य प्रमंडल का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रपत्र ''ख'' (बारहमासी सड़क सम्पर्कविहीन ग्रामों का विवरण)

क्रम संख्या	जिला	प्रखंड	गाँव	सड़क का नाम	लम्बाई	लाभान्वित होने वाली जनसंख्या	जोड़ी जानेवाली बसावटें	पथ की वर्त्तमान स्थिति	वर्गीकरण	स्वामित्व	प्राक्कलित राशि (लाख रू० में)	भूमि उपलब्ध है या अधिग्रहण की अवश्यकता है	संबंधित ग्रा०अ०सं० कार्य प्रमंडल का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1.3 यह सूची सभी संबंधित माननीय विधानमंडल सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जाएगी ताकि वे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इनकी सत्यता के संबंध में प्रतिक्रिया/सूचना/जानकारी उपलब्ध करा सकें। सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु उपर्युक्त प्रपत्र ''ख'' में आकलित पथों की प्राथमिकता का निर्धारण जिला स्तरीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालन समिति से प्राप्त अनुशंसा/प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

1.4 जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नामित एक माननीय मंत्री की अध्यक्षता में जिलें के सभी माननीय स.वि.स. उस जिले में मतदाता के रूप में निबंधित सभी माननीय स०वि०प० तथा पदाधिकारियों की एक 'जिला स्तरीय मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना संचालन समिति'

(District Level MMGSY steering committee) गठित की जायेगी । संबंधित जिला पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे । जिला परिषद् के अध्यक्ष एवं जिला के उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक तथा जिला योजना पदाधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे । जिला के क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रा०अ०सं० कार्य प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग के कार्य प्रमंडल, जल संसाधन विभाग के कार्य प्रमंडल, एन०आर०ई०पी० तथा ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा जिला परिषद के जिला अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे । संचालन समिति के अध्यक्ष (माननीय मंत्री) स्व-विवेक से अधिकतम पांच विशिष्ट महानुभावों को इस समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनित कर सकेंगे ।

यह समिति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्य योजना एवं प्राथमिकता सूची के निर्धारण हेतु जिला में 500 से 999 की जनसंख्या के बीच के बारहमासी सम्पर्कविहीन सभी ग्रामों की प्राथमिकता सूची तैयार करेगी जिसके आधार पर विभाग राशि की उपलब्धता के अनुसार योजनाएं कार्यान्वित करेगा । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्व से ग्रा०अ०सं० द्वारा तैयार किये गये पथों के कोर नेटवर्क की सहायता से जिला स्तरीय संचालन समिति वैसी सड़कों को चिन्हित कर सकेगी जिनके निर्माण से ज्यादा से ज्यादा ग्रामों और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सके ।

यह संचालन समिति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली पथ परियोजनाओं की प्रगति गुणवत्ता एवं कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा किया करेगी और अपनी अनुशंसाएं विभाग को भेजेगी ।

संचालन समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिला के अंतर्गत कराया जाने वाला कोई भी निर्माण कार्य एक से अधिक योजना के अन्तर्गत नहीं लिया जाये जिससे संसाधनों का समन्वित रूप से उपयोग किया जा सके तथा सरकारी राशि का दुरूपयोग भी न होने पाये ।

संचालन समिति का गठन निम्नवत् होगा ।

i	माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नामित माननीय मंत्री	अध्यक्ष
ii	जिले में पड़ने वाले सभी विधान सभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय स०वि०स०	सदस्य
iii	जिले में मतदाता के रूप में निबंधित सभी माननीय स०वि०प० (स्थानीय निकाय, शिक्षक तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित माननीय स०वि०प० यदि अपने निर्वाचन क्षेत्रों के किसी जिला में मतदाता के रूप में निबंधित हो तो उस जिला की समिति के सदस्य होंगे, यदि ऐसे माननीय स०वि०प० चाहें तो अलग से अनुरोध कर उस जिला के सीान पर अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक जिला की समिति के सदस्य बनाये जाने का अनुरोध कर सकते है)	सदस्य
iv	जिला परिषद के अध्यक्ष	सदस्य
v	जिला पदाधिकारी	सदस्य सचिव
vi	उप विकास आयुक्त	सदस्य
vii	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
viii	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य
ix	जिला में अवस्थित ग्रा०अ०स०/प०नि०वि०/जल संसाधन विभाग/एन०आर०ई०पी०/ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तथा जिला परिषद् के जिला अभियंता	सदस्य
x	अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम पाँच विशिष्ट व्यक्ति (यदि उपयुक्त क्रमांक ii एवं iii के सदस्यों में अनुसूचित जाति महिला एवं अत्यंत पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधि न हो तो इन श्रेणियों से प्राथमिकता के आधार पर विशेष आमंत्रित सदस्य नामित किये जायेंगे ताकि जिला स्तरीय संचालन समिति में अनुसूचित जाति, महिला तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के कम से कम एक-एक सदस्य अवश्य रहे)	विशेष आमंत्रित सदस्य

ऐसे माननीय विधानमंडल सदस्य, जो बिहार विधान परिषद के सभापति/उप सभापति या बिहार विधान सभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष या राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य हों, अपने स्थान पर लिखित रूप से किन्हीं प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने हेतु नामित कर सकेंगे । अन्य सदस्यों को स्वयं बैठक में भाग लेना होगा और वे अपने स्थान पर किन्हीं अन्य व्यक्ति को नामित नहीं कर सकेंगे । पदाधिकारियों के संबंध में भी यही नियम लागू रहेगा और वे अपने स्थान पर किन्हीं अन्य पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने हेतु प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे ।

आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे । जनसंख्या के लिए 500 से 999 तक के लिए अनुपातिक रूप से 50 से 70 अंक दिए जायेंगे (उदाहरणार्थ 500 की आबादी वाले गांव को 50 तथा 999 की आबादी वाले गाँव को 70 अंक दिये जायेंगे) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की जनासंख्या के प्रतिशत के आधार पर 5 से 20 अंक दिये जायेंगे एवं सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पक्की सड़क से दूरी के आधार पर 2 से 10 अंक अनुपातिक रूप से दिए जायेंगे । प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु कुल 100 की अंक तालिका में सभी पथों को उपर्युक्त 3 मानकों के आधार पर निम्नवत अंक प्रदान किये जायेंगे ।

(I) अनजुड़े ग्रामों की जनसंख्या । - (70 अंक)

सड़क से जोड़ी जा रही बसावटों की जनसंख्या	अंक
1	2
900 - 999	70
800 - 899	65
700 - 799	60
600 - 699	55
500 - 599	50

(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति जनसंख्या - (20 अंक)

कुल आबादी में अ०ज०/अ०ज०जा० का प्रतिशत	अंक
1	2
5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक	5
30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक	10
50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक	15
75 प्रतिशत से अधिक	20

(III) वर्त्तमान में पक्की सड़क से अनजुड़े ग्राम की दूरी - (10 अंक)

पक्की सड़क से दूरी	अंक
1	2
4 कि०मी० से अधिक	10
3 कि०मी० से 4 कि०मी०	8
2 कि०मी० से 3 कि०मी०	6
1 कि०मी० से 2 कि०मी०	4
1 कि०मी० या इससे कम	2

1.6 मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सभी सड़क सम्पर्कों की उपर्युक्त आधार पर प्रखंड और जिला स्तरीय व्यापक नए सड़क सम्पर्क प्राथमिकता सूची बनायी जाएगी और इन्हें सामान्य प्राथमिकता क्रम में समूहबद्ध किया जायेगा । मापदण्ड के आधार पर 70 अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले सभी ग्रामों को प्राथमिकता सूची में रखा जाएगा और उनके बीच से किन ग्रामों को सर्वप्रथम चयनित किया जाये, इसके लिए एक वरीयता सूची को जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक में अंतिम रूप दिया जायेगा । यह उस वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना भी मानी जायेगी और विभाग इसी कार्य योजना के आधार पर राशि की उपलब्धता को देखते हुए कार्य करायेगा ।

1.7 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जाएगा। पुलों का निर्माण कार्य विभागीय आश्वयकतानुसार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से नामांकन के आधार पर कराया जायेगा।

1.8 इस योजना के अन्तर्गत राज्य बजट से ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

1.9 ग्राम्य अभियंत्रण संगठन इस राशि को Grant-in-aid के रूप में पूर्व से गठित बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) को उपलब्ध करायेगा । BRRDA इसे ग्राम्य अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों को उपलब्ध करायेगा और उनके माध्यम से इस योजना का कार्यान्यवन करायेगा ।

1.10 इस योजना की राशि के लिए बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) एक अलग बैंक खाता खोलकर राशि को उसमें रखेगी ।

1.11 बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी (BRRDA) इस राशि की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार सभी कार्य प्रमंडलों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर प्राधिकार पत्र निर्गत करेगी जिससे वे इस लेखा से राशि की निकासी कर सकेगे ।

1.12 राशि की उपलब्धता एवं राज्य सरकार द्वारा इसके जिलावार कर्णाकण के अनुसार चयनित पथों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु Outsourcing के आधार पर तकनिकी विशेषज्ञों की सेवायें भी प्राप्त की जा सकेंगी ।

1.13 योजना में सड़क निर्माण हेतु आवष्श्यकतानुसार भूमि-अधिग्रहण का भी प्रावधान किया जायेगा, किन्तु जिन पथों के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध होगी उन्हें निर्माण में प्राथमिकता दी जाएगी।

1.14 योजना में कराये जाने वाले निर्माण कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता का विशेष महत्त्व होगा । योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता की जांच के उपरांत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार राज्य/जिला स्तर से गुणवत्ता नियंत्रको की जांच के प्रावधान भी रखे जायेंगे ।

1.15 जिला योजना/रोजगार गारंटी योजना/अन्य योजनाओं के अन्तर्गत लिये जाने वाले पथ निर्माण कार्यों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्राथमिकता सूची के पथों को यथासंभव प्राथमिकता दी जाएगी । इसके अन्तर्गत सभी पंचायतों को इसकी सूची उपलब्ध करायी जाएगी ताकि उनके द्वारा इनमें मिट्टी कार्य एवं ईंट सोलिंग कार्य कराया जा सके तथा इससे आगे का कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की राशि से कराया जाये । परन्तु यदि ऐसा संभव न हो सके तो पथ का पूर्ण निर्माण कार्य मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत की कराया जायेगा ।

1.16 चूँकि राशि राज्य बजट से उपलब्ध करायी जाएगी, अत: वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के अनुसार ही योजनाएँ कार्यान्वयन हेतु स्वीकार की जायेगी । योजना के प्रथम वित्तीय वर्ष 2006-07 में बजट प्रावधान की तिगुनी राशि की योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ताकि अगले वर्ष तक इनमें से अधिकांश योजनाओं को पूर्ण किया जा सकें । वर्ष 2007-08 में से बजट उपबंध की दोगुनी राशि की योजनाएँ प्रत्येक वर्ष प्रारंभ की जायेंगी और व्यय की बजट उपबंध के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा ।

1.17 वर्ष के दौरान किये गये कार्यों के आलोक में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के नवम्बर-दिसम्बर माह में विचार कर अगले वर्ष के लिए प्राथमिकता सूची का निर्धारण किया जाएगा ताकि अगले वर्ष की कार्य योजना उस समय तक तैयार हो जाये । यदि समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता सूची के किसी पथ का कार्य इस योजना अथवा अन्य किसी योजना से सम्पादित होता है तो उस पथ को प्राथमिकता सूची से हटा दिया जायेगा । उस वर्ष ऐसे पथ के स्थान पर अन्य कोई पथ प्राथमिकता सूची में नहीं जोड़ा जायेगा ।

1.18 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मात्र एकल सड़क सम्पर्क की व्यवस्था रहेगी । यदि कोई ग्राम पहले ही बारहमासी सड़क के जरिये जुड़ा हुआ है और यदि सम्पर्कता उस ग्राम की आबादी के रहने के स्थान तक पूर्णता के साथ उपलब्ध हो, तो उस ग्राम में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है।

1.19 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार होंगी, जैसा कि ग्रामीण सड़क नियमावली (आई0आर0सी0) एस0पी0-20:2002) में दिया गया है। विशेष स्थिति में राज्य सरकार इससे भिन्न विशिष्टियाँ भी निर्धारित कर सकती है। प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगी ।

1.20 इस योजना के अंतर्गत किये जा रहे कार्यो के External Certification के लिए Outsourcing के आधार पर सरकारी, गैर सरकारी अथवा सेवानिवृत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट आदि की सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.21 बारहमासी सम्पर्क सुविधा प्रदान करने हेतु चयनित पथ का इसमें पड़ने वाले पुल/पुलियों के साथ निर्माण किया जाएगा तथा पथ वाले अंश एवं पुल/पुलियों का परियोजना प्रतिवेदन एक साथ तैयार किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.22 चयनित पथ निर्माण योजनाओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करने के लिए Outsourcing के आधार पर व्यावसायिक तकनीकी फर्मों/ Consultants की सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.23 पथों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर सरकारी/गैर/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/संस्थाओं का पैनल तैयार किया जाएगा जो नियमित अन्तराल पर पथों के निर्माण कार्य की जाँच करेंगे । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.24 पथों से लिये गये नमूनों की जाँच ग्रा०अ०सं०/प०नि०वि०/बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की जाँच प्रयोगशाला के साथ-साथ अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं विभाग के अनुमोदन से अन्य प्रतिष्ठित जाँच प्रयोगशालाओं में भी करायी जा सकेगी। । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.25 सभी निर्माण कार्यों के विभिन्न चरणों में विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जायेगी । निर्माण की अवधि में भी कार्य की विडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जाएगी तथा जाँच प्रतिवेदनों के साथ इन्हें भी संधारित किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.26 पथों के निरीक्षण हेतु ग्रा0अ0सं0 के कार्यपालक अभियंता या उनसे ऊपर के स्तर के पदाधिकारी भाड़े पर वाहन ले सकेंगे । यदि उनके पास विभागीय वाहन उपलब्ध हो तो इस कार्य हेतु पेट्रोल/डीजल की वर्तमान निर्धारित 110 लीटर प्रति माह की खपत सीमा में छूट प्रदान की जायेगी । वित्त विभाग इसके लिए आवश्यक आदेश निर्गत करेगा ।

1.27 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत त्रिस्तीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् रहेगा :-

(i) प्रथम स्तर-संवेदक/ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल के द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित संख्या में आवश्यक जाँच की जाएगी ।

(ii) द्वितीय स्तर- जिला गुणवत्ता समन्यवयक (District Quality Monitor-DQM) इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनेल तैयार किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

(iii) तृतीय स्तर-राज्य गुणवत्ता समन्वयक (State Quality Monitor-SQM) इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों (उप सचिव स्तर एवं ऊपर) का राज्य स्तरीय पैनेल तैयार किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.28 प्रत्येक DQM/SQM को राज्य पर पैनेलीकृत कर विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा एक वर्ष के लिए परिचय पत्र दिया जाएगा एवं कोड संख्या आवंटित की जायेगी । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.29 प्रत्येक निरीक्षण के लिए DQM/SQM को विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय तथा यात्रा व्यय/अन्य आकस्मिक व्यय का भुगतान किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा ।

1.30 योजना के क्रियान्वयन में अभियंताओं के साथ-साथ संवेदकों का भी विशेष योगदान होगा । अत: योजना में कार्यान्वयन एजेंसी के अभियंताओं एवं संवेदक/संवेदक के अभियंताओं के प्रबंधन एवं तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान की किया जायेगा । इसके प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन दौरा आदि शामिल होंगे ।

1.31 योजना में नयी तकनीक एवं नयी तकनीक के लिए उपयोग के लिए आवश्यक सामग्री तथा उपकरणों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान किया जायेगा ।

1.32 उच्चतर एवं विशिष्ट तकनीक एवं प्रबंधन संबंधी सेवाओं के आउटसोर्सिंग के आधार पर प्राप्त करने का भी प्रावधान किया जायेगा जिसके लिए विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी ।

1.33 प्रत्येक कार्य इकाई के लिये आउटसोर्सिंग के आधार पर लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउनटेन्ट की सेवायें प्राप्त की जाएगी । वे प्रत्येक माह प्रमंडल के अभिलेखों की जांच करेंगे । लेखा संधारण करने वाले विशेषज्ञ/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाएगा । प्रशासी विभाग समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत अनुदेश निर्गत करेगा।

1.34 मुख्यमंत्री ग्राम ड़क योजना कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी (BRRDA) का आवश्यकतानुसार सुदृढ़ीकरण किया जायेगा । विशेषकर इसके पदों को प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर भरने की कार्रवाई तत्काल की जायेगी ।

1.35 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य बजट की राशि का निवेश होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के पथों का निर्माण किया जाएगा । इस योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले पथों के वार्षिक रख-रखाव हेतु ग्राम्य अभियंत्रण संगठन को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी ।

2. आउटसोर्सिंग के आधार पर गुणवत्ता समन्वयकों/अंकेक्षकों/व्यावसायिक फर्मों/ Consultants विशेषज्ञों आदि का पैनेल गठित करने तथा इन्हें भुगतान की जाने वाली राशि के निर्धारण हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता आंतरिक वित्तीय सलाहकार के अतिरिक्त योजना विभाग एवं वित्त विभाग के एक-एक प्रतिनिधि, जो उप सचिव से अन्यून स्तर पर होंगे, रहेंगे ।

3. यदि कंडिका-1 में वर्णित मार्गदर्शिका के प्रावधानों से कार्य के सुचारू क्रियान्वयन में कोई कठिनाई/बाधा उत्पन्न होती है तो इसके प्रावधनों में माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्राप्त कर आवश्यक परिवर्तन किये जा सकेगें ।

4. उपर्युक्त कंडिकाओं के प्रावधनों की सीमा तक पुनरीक्षित लोक निर्माण संहिता की कंडिका 102, 121, 122, 125, 126, 130, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 168, 170, 172 एवं 175 बिहार वित्त नियमावली की कंडिका 201, 209, 222, 224, 230, 233, 234, 235, 236, 237, 238 एवं 239 बिहार ठीकेदार सूचीकरण नियमावली एवं वित्त विभाग से निर्गत सुसंगत परिपत्र शिथिल माने जायेंगे । साथ ही बिहार वित्तिय नियमावली, बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता एवं बिहार कोषागार संहिता के संबंधित प्रावधान तथा सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत आदेश भी उपयुक्त सीमा तक शिथिल माने जायेंगे ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाये।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

जिलावार एवं वर्षवार कर्णकिण

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

पत्रांक-मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 2516 / पटना, दिनांक - 04.08.06

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में जिलावार राशि का कर्णांकण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए संशोधित उद्व्यय 300 करोड़ की राशि का जिलावार कर्णांकण निम्नवत है -

Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore
1	Araria	8.19	11	Jamui	7.32	21	Munger	3.72	31	Samastipur	11.99
2	Aurangabad	9.69	12	Jehanabad	3.35	22	Muzaffarpur	12.37	32	Saran	9.68
3	Banka	7.48	13	Arwal	2.36	23	Nalanda	8.67	33	Sheikhpura	2.07
4	Begusarai	7.66	14	Kaimur	6.16	24	Nawada	8.27	34	Sheohar	1.71
5	Bhagalpur	7.51	15	Katihar	8.72	25	West Champaran	11.86	35	Sitamarhi	8.16
6	Bhojpur	7.64	16	Khagaria	4.64	26	Patna	11.35	36	Siwan	8.31
7	Buxar	5.00	17	Kishanganj	4.59	27	East Champaran	13.39	37	Supaul	7.47
8	Darbhanga	10.57	18	Lakhisarai	3.19	28	Purnia	9.70	38	Vaishali	9.72
9	Gaya	17.01	19	Madhepura	5.96	29	Rohtas	10.47	39	TOTAL	300.00
10	Gopalganj	6.93	20	Madhubani	12.10	30	Saharsa	5.00			

ध्यातव्य है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 6.10 के अनुसार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कर्णांकित राशि की तिगुनी राशि की योजना तथा आगे के वर्षों में दुगुनी राशि की योजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाना है ।

विश्वासभाजन
सचिव

ज्ञापांक मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 2516 / पटना, दिनांक- 04.08.06

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल/मुख्य अभियंता 1,2 एवं 4 ग्रा0अ0सं0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 2516 / पटना, दिनांक - 04.08.06

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य)

पत्रांक-मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 1959 / पटना, दिनांक - 21.08.07

प्रेषक,

डॉ0 दीपक प्रसाद,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में जिलावार राशि का कर्णाकण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए संशोधित उद्व्यय 403.02 करोड़ की राशि का जिलावार कर्णाकण निम्नवत है -

Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore
1	Araria	11.00	11	Jamui	9.83	21	Munger	5.00	31	Samastipur	16.11
2	Aurangabad	13.02	12	Jehanabad	4.50	22	Muzaffarpur	16.62	32	Saran	13.00
3	Banka	10.05	13	Arwal	3.17	23	Nalanda	11.65	33	Sheikhpura	2.78
4	Begusarai	10.29	14	Kaimur	8.28	24	Nawada	11.11	34	Sheohar	2.30
5	Bhagalpur	10.09	15	Katihar	11.71	25	West Champaran	15.93	35	Sitamarhi	10.96
6	Bhojpur	10.26	16	Khagaria	6.23	26	Patna	15.25	36	Siwan	11.16
7	Buxar	6.72	17	Kishanganj	6.17	27	East Champaran	17.99	37	Supaul	10.04
8	Darbhanga	14.20	18	Lakhisarai	4.29	28	Purnia	13.03	38	Vaishali	13.06
9	Gaya	22.85	19	Madhepura	8.01	29	Rohtas	14.07	39	TOTAL	403.02
10	Gopalganj	9.31	20	Madhubani	16.26	30	Saharsa	6.72			

ध्यातव्य है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 6.10 के अनुसार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में कर्णांकित राशि की तिगुनी राशि की योजना तथा आगे के वर्षो में दुगुनी राशि की योजना का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाना है ।

विश्वासभाजन

सचिव

ज्ञापांक मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 1959 / पटना, दिनांक - 21.08.07

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल/मुख्य अभियंता 1,2 एवं 4 ग्रा0अ0सं0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

ज्ञापांक मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 1959 / पटना, दिनांक - 21.08.07

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक-मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 1895 / पटना, दिनांक - 20.05.08

प्रेषक,

एच0 सी0 सिरोही,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0 कार्य प्रमंडल

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में जिलावार राशि का कर्णांकण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित उद्व्यय 403.02 करोड़ की राशि का जिलावार कर्णांकण निम्नवत है -

Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore
1	Araria	11.00	11	Jamui	9.83	21	Munger	5.00	31	Samastipur	16.11
2	Aurangabad	13.02	12	Jehanabad	4.50	22	Muzaffarpur	16.62	32	Saran	13.00
3	Banka	10.05	13	Arwal	3.17	23	Nalanda	11.65	33	Sheikhpura	2.78
4	Begusarai	10.29	14	Kaimur	8.28	24	Nawada	11.11	34	Sheohar	2.30
5	Bhagalpur	10.09	15	Katihar	11.71	25	West Champaran	15.93	35	Sitamarhi	10.96
6	Bhojpur	10.26	16	Khagaria	6.23	26	Patna	15.25	36	Siwan	11.16
7	Buxar	6.72	17	Kishanganj	6.17	27	East Champaran	17.99	37	Supaul	10.04
8	Darbhanga	14.20	18	Lakhisarai	4.29	28	Purnia	13.03	38	Vaishali	13.06
9	Gaya	22.85	19	Madhepura	8.01	29	Rohtas	14.07	39	TOTAL	403.02
10	Gopalganj	9.31	20	Madhubani	16.26	30	Saharsa	6.72			

इस कर्णांकित राशि के विरूद्ध कोई नयी योजना स्वीकृत नहीं की जायेगी । इस राशि का व्यय पुराने चयनित योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

BRRDA

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक-मु0अ0-4-विविध-8-63/06 - 5189 / पटना, दिनांक - 26.09.08

प्रेषक,

अजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्ग वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए योजनाओं के चयन हेतु जिला संचालन समिति की बैठक सम्पन्न कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए जिले की कर्णांकित राशि की दुगुनी राशि के योजनाओं के चयन हेतु जिला स्तरीय संचालन समिति की बैठक आहुत की जाये । इस कार्यालय के पत्रांक 1895 दिनांक 20.05.08 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए सभी जिलों के लिए जिलावार राशि का कर्णाकण कर इसकी सूचना आपको उलब्ध करा दी गयी है ।

अत: अनुरोध है कि जिले के लिए कर्णांकित राशि की दुगुनी राशि की योजनाओं के चयन हेतु माह अक्टुबर 08 तक जिला संचालन समिति की बैठक सम्पन्न करा ली जाये एवं चयनित योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी जाये ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक–मु0अ0–4–मु0ग्रा0स0यो0–16–01/2010– 841 / पटना, दिनांक– 16.04.2010

प्रेषक,

शशि शेखर शर्मा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0 कार्य प्रमंडल–2

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2010–11 में जिलावार राशि का कर्णांकण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए स्वीकृत बजट उपलब्ध 260.00 करोड़ की राशि का जिलावार कर्णांकण निम्नवत है –

Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore
1	Araria	7.10	11	Jamui	6.34	21	Munger	3.22	31	Samastipur	10.39
2	Aurangabad	8.40	12	Jehanabad	2.90	22	Muzaffarpur	10.72	32	Saran	8.39
3	Banka	6.48	13	Arwal	2.05	23	Nalanda	7.51	33	Sheikhpura	1.79
4	Begusarai	6.64	14	Kaimur	5.34	24	Nawada	7.17	34	Sheohar	1.48
5	Bhagalpur	6.51	15	Katihar	7.56	25	West Champaran	10.28	35	Sitamarhi	7.07
6	Bhojpur	6.62	16	Khagaria	4.02	26	Patna	9.84	36	Siwan	7.20
7	Buxar	4.33	17	Kishanganj	3.98	27	East Champaran	11.61	37	Supaul	6.47
8	Darbhanga	9.16	18	Lakhisarai	2.77	28	Purnia	8.41	38	Vaishali	8.43
9	Gaya	14.74	19	Madhepura	5.17	29	Rohtas	9.08	39	TOTAL	260.00
10	Gopalganj	6.01	20	Madhubani	10.49	30	Saharsa	4.33			

मर्गदर्शिका की कंडिका 6.10 के अनुसार वित्तीय वर्ष (2010–11) में कर्णांकित राशि की दुगुनी राशि की योजना का चयन करने हेतु 30 अप्रैल 2010 तक जिला संचालन समिति की बैठक संपन्न करा ली जाए एवं योजनाओं की सूची यथाशीघ्र संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करा ली जाय ताकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा सके ।

विश्वासभाजन
प्रधान सचिव

पत्रांक–मु0अ0–4–मु0ग्रा0स0यो0–16–01/2010–841 / पटना, दिनांक– 16.04.2010

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल/मुख्य अभियंता 1,2,3 एवं 4 ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

पत्रांक–मु0अ0–4–मु0ग्रा0स0यो0–16–01/2010–841 / पटना, दिनांक– 16.04.2010

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक-मु0अ0-4-मु0ग्रा0स0यो0-16-01/2010- 1251 /पटना, दिनांक- 13.04.2011

प्रेषक,

डा0 बी0 रोजन्दर,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
सभी कार्यपालक अभियंता,
ग्रा0का0वि0 कार्य प्रमंडल-2

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में जिलावार राशि का कर्णांकण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए स्वीकृत बजट उपलब्ध 300.00 करोड़ की राशि का जिलावार कर्णांकण निम्नवत है -

Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore	Sl. No.	Name of District	Amount in Crore
1	Araria	8.19	11	Jamui	7.32	21	Munger	3.72	31	Samastipur	11.99
2	Aurangabad	9.69	12	Jehanabad	3.35	22	Muzaffarpur	12.37	32	Saran	9.68
3	Banka	7.48	13	Arwal	2.36	23	Nalanda	8.67	33	Sheikhpura	2.07
4	Begusarai	7.66	14	Kaimur	6.16	24	Nawada	8.27	34	Sheohar	1.71
5	Bhagalpur	7.51	15	Katihar	8.72	25	West Champaran	11.86	35	Sitamarhi	8.16
6	Bhojpur	7.64	16	Khagaria	4.64	26	Patna	11.35	36	Siwan	8.31
7	Buxar	5.00	17	Kishanganj	4.59	27	East Champaran	13.39	37	Supaul	7.47
8	Darbhanga	10.57	18	Lakhisarai	3.19	28	Purnia	9.7	38	Vaishali	9.73
9	Gaya	17.02	19	Madhepura	5.96	29	Rohtas	10.47	39	TOTAL	300.00
10	Gopalganj	6.93	20	Madhubani	12.10	30	Saharsa	5.00			

मर्गदर्शिका की कंडिका 1.16 के अनुसार वित्तीय वर्ष (2011-12) में कर्णांकित राशि की दुगुनी राशि की योजना का चयन करने हेतु 10 मई 2011 तक जिला संचालन समिति की बैठक संपन्न करा ली जाए एवं योजनाओं की सूची यथाशीघ्र संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को उपलब्ध करा ली जाय ताकि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा सके ।

विश्वासभाजन
सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4-मु0ग्रा0स0यो0-16-01/2010- 1251 /पटना, दिनांक- 13.04.2011

प्रतिलिपि : सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल/मुख्य अभियंता 1,2,3 एवं 4 ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4-मु0ग्रा0स0यो0-16-01/2010- 1251 /पटना, दिनांक- 13.04.2011

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सचिव

पत्रांक-मु0अ0-4-मु0ग्रा0स0यो0-16-01/2010- 1251 /पटना, दिनांक- 13.04.2011

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ ।

सचिव

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित कार्यों का समय अनुसूची

बिहार सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश - 02

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु बजट उपबंध एवं तदनुसार जिला संचालन समिति की बैठक में योजनाओं का चयन / विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना / तकनीकी अनुमोदन / प्रशासनिक स्वीकृति / निविदा की प्रक्रिया / एकरारनामा के संबंध में निम्नांकित समय-सीमा निर्धारित किया जाता है।

क्र०सं०	कार्य की विवरणी	कार्य निष्पादन का समय	निष्पादित करने वाले पदाधिकारी का नाम
1	**बजट उपबंध प्राप्त होने के उपरान्त कार्रवाई** (क) विभागीय सचिव के माध्यम से माननीय मंत्री द्वारा जिला वार कर्णांकित राशि का अनुमोदन प्राप्त करना।	07 दिन	परियोजना प्रबंधक
	(ख) जिलावार कर्णांकित राशि की सूचना एवं जिला संचालन समिति की बैठक हेतु सभी संबंधित जिलाधिकारियों को अवगत कराने हेतु पत्र भेजना।	07 दिन	परियोजना प्रबंधक
2	जिला संचालन समिति से योजनाओं को पारित किया जाना।	30 दिन	संबंधित जिला पदाधिकारी/का० अभियंता
3	**DPR तैयार किया जाना।** (क) जिला संचालन समिति से पारित योजनाओं की सूची प्राप्त करना।	05 दिन	संबंधित का० अभियंता
	(ख) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।	25 दिन	संबंधित का० अभियंता
4	**DPR की स्वीकृति की कार्रवाई** (क) तकनीकी अनुमोदन प्राप्त करना।	07 दिन	संबंधित का० अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता
	(ख) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने हेत जिला पदाधिकारी को डी०पी०आर० भेजना एवं स्वीकृति प्राप्त करना।	15 दिन	संबंधित का० अभियंता/ संबंधित जिलापदाधिकारी/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त
	(ग) तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र की स्वीकृति प्राप्त करना	07 दिन	संबंधित का० अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता

क्र०सं०	कार्य की विवरणी	कार्य निष्पादन का समय	निष्पादित करने वाले पदाधिकारी का नाम
5	**निविदा की प्रक्रिया** (क) परिमाण विपत्र तैयार कर परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध कराना	07 दिन	संबंधित का० अभियंता/ संबंधित अधीक्षण अभियंता
	(ख) निविदा आमंत्रण सूचना तैयार करना एवं प्रकाशनार्थ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को भेजना।	07 दिन	परियोजना प्रबंधक
	(ग) निविदा प्राप्त करना एवं खोलना	21 दिन	परियोजना प्रबंधक
	(घ) तकनीकी बीड के कागजातों को डॉउनलोड कर कार्य प्रमण्डलों को उपलब्ध कराना।	07 दिन	परियोजना प्रबंधक
6	**निविदा निष्पादन की प्रक्रिया** (क) तकनीकी बीड का मुल्यांकण कर सफल निविदाकारों की सूची परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध कराना	21 दिन	संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित मुख्य अभियंता
	(ख) सफल निविदाकारों के वित्तीय बीड को खोलना एवं संबंधित मुख्य अभियंता को कागजात उपलब्ध कराना।	03 दिन	परियोजना प्रबंधक
	(ग) निविदाकारों के वित्तीय बीड का निष्पादन (समान दर होने पर लॉटरी के द्वारा) एवं कार्य आवंटन संबंधी पत्र निर्गत करना तथा इसकी सूचना परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध कराना।	10 दिन	संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित मुख्य अभियंता
7	**एकरारनामा की प्रक्रिया** (क) सफल निविदाकारों को एकरारनामा करने हेतु पत्र निर्गत करना एवं एकरारनामा करने के उपरांत कार्यादेश निर्गत करना	15 दिन	संबंधित कार्यपालक अभियंता
	(ख) एकरारनामा की समीक्षा करना एवं एकरारनामा की एक प्रति प्राप्त करना	10 दिन	परियोजना प्रबंधक

क्र॰सं॰	कार्य की विवरणी	कार्य निष्पादन का समय	निष्पादित करने वाले पदाधिकारी का नाम
8	**अनुश्रवण** (क) प्रत्येक माह कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करना (ख) शिकायती पत्र / न्यायालीय मामलों पर कार्रवाई करना (ग) गुण नियंत्रण से संबंधित प्रतिवेदन पर समीक्षा करना (घ) विभिन्न प्रमण्डलों में जाकर योजनाओं का निरीक्षण करना	कार्य समाप्त होने तक	परियोजना प्रबंधक

ह॰/-
सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक : मु॰ अ॰ (मु॰)-मु॰मं॰ग्रा॰सं॰ योजना-16-10/11-138 पटना, दिनांक : 23.05.2011

प्रतिलिपि : ग्रामीण कार्य विभाग के सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी परियोजना पदाधिकारी / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

ह॰/-
सचिव

अनुश्रवण हेतु मासिक प्रगति प्रतिवेदन का प्रपत्र

MUKHYA MANTRI GRAM SADAK YOJNA (MMGSY)

Name of Circle :

Name of Division : Rural Works Department, Works Division, ...

Month : .....

Year : .....

Format-A

Sl. No.	Name of Road/Scheme	Length (in K.M.)	Agreement Amount / AA amount (in crore)	Date of AA	Date of TS	Date of Tender	Date of Agreement
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
	TOTAL						

Signature of EE

Time of Completion	Date of Work Order	Work Programme submited or not	Name of Contractor	Physical Progress (in KM)			Financial Progress (Current month Expenditure) (in crore)	No. of Habitation to be Connected	Connected Habitation	Remarks
				Sub Base	Base	Surface				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Signature of EE

MUKHYA MANTRI GRAM SADAK YOJNA (MMGSY)

Name of Circle :

Name of Division :

Year : .....

Format-B

Sl. No.	Name of Road/Scheme	Schemes to be taken up to achieve target		Selection of Schemes		DPR Submitted		Technical Approval	
		Amount	KM	Amount	KM	Amount	KM	Amount	KM
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6									
7									
8									
9.									
TOTAL									

Signature of EE

Administrative Sanction					Technical Sanction		Tender		Agreement			
Amount	K.M	Pending			Amount	K.M	Amount	K.M	Main Work Amount	Maintenance Amount	K.M	Work Started
		Div./DM	Cir./Com	H.Q.								
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**

Signature of EE

Expenditure (in Crore)					Up Dated Expenditure on Maintenance Amount (in crore)	Sub Base (in K.M.)					Base (in K.M.)				
Exp.upto 31.03.11	Upto Last Month	During this month	Total	G.T. (Col-24+Col.27)		Exp.upto 31.03.11	Upto Last Month	During this month	Total	G.T. (Col-30+Col.33	Exp.upto 31.03.11	Upto Last Month	During this month	Total	G.T. (Col-35+Col.38)
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Signature of EE

Surface (in K.M.)					Completed or Completed	No. of Habitations	Connect Habitations	Remarks
Upto 31.03.11	Upto Last Month	During This Month	Total	G.T. (Col.40+Col.43)				
40	41	42	43	44	45	46	47	48

Signature of EE

MUKHYA MANTRI GRAM SADAK YOJNA (MMGSY)

Pending Status **Dated :**

Year : .....

Format-C

Sl. No.	Name of Circle	Name of Works Division	Total No. of Scheme	No. of DPRs submitted	Pending	T/A	T/A Pending	A/A	Pending		T/S	Pending
									DM	COM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Signature of EE

Tender	Pending	C/S Approved	C/S Pending	Details of C/S Pending	Technical Bid Pending			Financial Bid Pending			Total No. of Agreement of Scheme	Agreement Pending	Remarks
					E.E.	S.E.	H.Q.	E.E. Level	E.E. Level	H.Q. Level			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Signature of EE

अध्याय-6

योजनाओं की जाँच के लिए प्रपत्र

विषय/प्रसंग –

शिकायत कर्त्ता का नाम –

ग्रा+पो0 –

प्रखंड –

जिला –

मुख्य आरोप –

प्रतिवेदन :-

(1) निरीक्षण की तिथि –

(2) योजना का नाम –

(3) मद –

(4) पथ की लंबाई –

(5) प्रशासनिक स्वीकृति की राशि –

(6) तकनीकी स्वीकृति की राशि –

(7) एकरारनामा संख्या एवं राशि –

Construction Cost -

Maintenance Cost -

Total Cost -

(8) कार्य प्रारंभ की तिथि –

(9) कार्य समाप्ति की तिथि –

(10) अब तक भुगतान की गई राशि/तिथि –

(11) संवेदक का नाम/पता एवं निबंधन संख्या –

(12) प्रावधानित / वर्त्तमान कार्य की स्थिति :–

क्र॰ सं॰	कार्यमद	प्राक्कलन में प्रावधान	मापी पुस्त में अद्यतन प्रविष्टि	कार्य स्थल के अनुसार वास्तविक स्थिति	अभ्युक्ति
i	साईन बोर्ड/रोड फर्नीचर/फोटो ग्राफी				
ii	स्थल प्रयोगशाला				
iii	मिट्टी कार्य (1) ऊपरी तल चौड़ाई (2) आधार तल की चौड़ाई (3) औसत उँचाई (4) मात्रा				
iv	जी॰एस॰बी॰ / ब्रिक सोलिंग–मुटाई				
v	डब्लू॰बी॰एम॰ ग्रेड II – मुटाई				
vi	डब्लू॰बी॰एम॰ ग्रेड III – मुटाई				
vii	BUSG मुटाई				
viii	कालीकरण / SDBC मुटाई				
ix	सील कोट टाईप ए/बी/सी				
x	पथ में कंक्रीट कार्य की मुटाई				
xi	पुल पुलियों का निर्माण संख्या में				

(13) कार्य की अद्यतन स्थिति :–

(14) स्टेज पासिंग प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है या नहीं :–

(15) निरीक्षण के समय उपस्थित शिकायतकर्त्ता/प्रतिनिधि :–

(16) निरीक्षण के समय उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता :–
सहायक अभियन्ता :–
कनीय अभियन्ता :–

(17) प्राक्कलन/विपत्र तैयार करने वाले कार्यपालक अभियन्ता :–
सहायक अभियन्ता :–
कनीय अभियन्ता :–

(18) समेकित मंतव्य :–

i. परिवाद पत्र में उल्लेखित आरोप प्रमाणित होता है या नहीं :–

ii. वित्तीय क्षति हुई है या नहीं :–

iii. यदि आरोप प्रमाणित होता है तो संबंधित आरोपित अभियन्ताओं का नाम,पदनाम, वर्त्तमान पदस्थापन एवं पैतृक विभाग :

अध्याय-7

फोटोग्राफ एवं उपलब्धियाँ

Physical Progress (MMGSY)

Financial Year	Administrative Approval			Sub Base (in km)	Base (in km)	Surface (in km)	No of Completed Road
	Amount (in Crore)	Surface (in KM)	No.				
2006 - 07	896.84	2616.64	788	2513.77	2414.39	2218.79	679
2007 - 08	834.45	1695.76	603	1534.76	1431.23	1176.58	413
2008 - 09	721.16	1258.35	614	514.50	396.53	260.51	148
2010 - 11	221.80	409.14	252	11.10	11.10	3.35	3
TOTAL	**2674.25**	**5979.89**	**2257**	**4574.13**	**4253.25**	**3659.23**	**1243**

Financial Progress (MMGSY)

Financial Year	Allocation (in Crore)	Expenditure (in Crore)
2006 - 07	300	29.35
2007 - 08	566.12	339.35
2008 - 09	473.02	284.795
2009 - 10	17.00	509.60
2010 - 11	260.00	422.24
TOTAL	**1616.14**	**1585.335**

Contingency Expenditure : 1.86 crore

Amount lying in BRRDA : 28.94 crore

Liabilities : 1058.11 crore